राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 104/2021

1. संतोष देवी पत्नी झाबरमल उम्र 65 साल
2. सुरेन्द्र पुत्र झाबरमल उम्र 41 साल
3. सत्येन्द्र पुत्र झाबरमल उम्र 39 साल जाति माली निवासी वार्ड नं. 19 सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
4. राजबाला पुत्री झाबरमल पत्नी राकेश कुमार उम्र 45 साल जाति माली हाल आबाद शान्ति नगर राजगढ रोड़ पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज)
5. सुनिता पुत्री झाबरमल पत्नी मांगेलाल उम्र 43 साल जाति माली हाल आबाद बाणियो की ढाणी तन बगड़ जिला झुन्झुनू (राज.)
6. अनिता पुत्री झाबरमल उम्र 36 साल पत्नी राजेश कुमार जाति माली हाल आबाद मानोता कंला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

.........आवेदकगण

— बनाम —

1. रामेश्वर पुत्र पिरूराम उम्र 78 साल
2. बाबुलाल पुत्र रामेश्वर उम्र 55 साल
3. सज्जन पुत्र रामेश्वर उम्र 52 साल
4. पवन कुमार पुत्र रामेश्वर उम्र 47 साल
5. मन्जूदेवी पत्नि बाबुलाल उम्र 53 साल
6. राजकुमारी पत्नी सज्जन सिंह उम्र 50 साल
7. मधुबाला पत्नी पवन कुमार उम्र 45 साल
8. राहुल पुत्र बाबुलाल उम्र 28 साल
9. नवीन कुमार पुत्र बाबुलाल उम्र 26 साल
10. रूचिका खडोलिया पुत्री बाबुलाल उम्र 30 साल
11. मंथन पुत्र सज्जनसिंह उम्र 23 साल
12. श्योबाई पत्नी रामेश्वर उम्र 75 साल सभी जातिगण माली निवासीगण वार्ड नं. 19 नया कुंआ की ढाणी तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13. ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद उम्र 45 साल जाति माली निवासी मंडावा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
14. विनिता पत्नी औमप्रकाश उम्र 43 साल जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
15. पूजा पुत्री राधेश्याम उम्र 22 साल निवासी वार्ड नं. 17 पिलानी
16. मितेश सैनी पुत्र संतकुमार जाति माली निवासी मंडावा जिला झुन्झुनू (राज)
17. संतकुमार पुत्र प्रहलाद राय जाति माली निवासी मंडावा तहसील मंडावा जिला झुन्झुनू (राज.)
18. योगेश कुमार पुत्र हरचंद जाति माली निवासी धनसुख की ढाणी बडागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

19. देवेन्द्र सैनी पुत्र हरचन्द लाल जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बडागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
20. रजत कुमार पुत्र राधेश्याम जातिमाली निवासी मावण्डिया की ढाणी चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
21. राधेश्याम पुत्र जमनाधर जाति माली निवासी वार्ड नं. 17 पिलानी
22. शारदा देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी वार्ड नं. 17 पिलानी
23. लीना पुत्री राधेश्याम जाति माली निवासी वार्ड नं. 17 पिलानी जिला झुन्झुनू (राज.)
24. रोहिताश कुमार पुत्र इन्द्राज जाति माली निवासी मावण्डियो की ढाणी तन चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
25. सरिता पत्नि योगेश कुमार जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बडागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
26. उप–पंजियक सिंघाना उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

...............अनावेदकगण

आवेदन पत्र – अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति –
1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता – आवेदक की ओर से ।
2. श्री राजेश कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी स. 1 लगायत 25 की ओर से शेष के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक –3.1.1.23

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि ग्राम सिघाना स्थित भूमी जमाबन्दी सवत् 2062 से 2065 मे ख.न. 113 रकबा 0.32 हैक्टर ख.न. 119 रकबा 0.23 हैक्टर ख.न. 131 रकबा 0.18 हैक्टर ख.न. 135 रकबा 1.75 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.48 हैक्टर के खातेदार कास्तकार रामेश्वर ,बेगराज , झाबर पुत्र पिरूराम दर्ज रिकॉर्ड रहे हैं जिसमे से खातेदार झाबर की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके वारीसान प्रार्थीगण हैं इस खण्ड मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण , रामेश्वर व बेगराज की संयुक्त खातेदारी की थी।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 मे वर्णित भूमि को प्रार्थीया स.1 के पति व प्रार्थीगण स.2 लगायत 6 के पिता झाबर , अप्रार्थी स.1 रामेश्वर व बेगराज ने सन् 1986 में मौके पर बांही बंटवारा कर लिया था तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त चले आ रहे हैं। बाहमी बंटवारे के अनुसार ख.न. 113, ख.न.119 ख.न. 131 बाहमी बंटवारे के अनुसार बेगराज के हिस्से मे आये तथा उपरोक्त ख.न. को बेगराज कास्त करता था ख.न. 135 रकबा 1.75 हैं भूमि जो कि एक तरफ उंची व एक तरफ नीची थी ख.न. 135 का दक्षिणी हिस्सा रेतिला तथा कम उपजाउ था इस कारण से अप्रार्थी स.1 ने बाहमी बंटवारे मे झाबर को अधिक भूमि दी तथा कम उपजाउ होने के कारण रामेश्वर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

हिस्से में कम भूमि आई थी ख.न. 135 के दक्षिणी हिस्से मे करीब 1.12 हैक्टर भूमि रामेश्वर के हिस्से मे थी तथा उतरी हिस्से मे करीब 63 हैं भूमि अप्रार्थी स.1 रामेश्वर के हिस्से मे आई थी इस प्रकार ख.न 1986 से ही तीनो भाई बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से को कास्त करते आ रहे हैं सन् 1986 में झाबर ने अपने व अप्रार्थी स.1 रामेश्वर के बीच के बंटवारे की जो सीव थी उस पर कीकर नीम व बेर के पेड़ लगा दिये थे जो कि ख.न. 135 मे दोनो भाईयो के हिस्से को अलग – अलग करते हैं।

3. यह कि प्रार्थीगण के पूर्वज वं अप्रार्थी स. 1 रामेश्वर तथा बेगराज ने उक्त भूमि का जब आपसी बंटवारा किया उस समय भूमि का बंटवार उपजाउ व कम उपजाउ के अनुसार किया गया था जिसके अनुसार बेगराज के हिस्से मे कुये के पास वाली भूमि आई तथा झाबर के हिस्से मे ख.न 135 का दक्षिणी हिस्सा आया था जो कि रेतिला होने के कारण कम उपजाउ था तथा अप्रार्थी स.1 रामेश्वर के हिस्से मे ख.न. 135 का उतरी हिस्सा जो कि समतल व अधिक उपजाउ था आया था इस प्रकार बेगराज के हिस्से मे 0.73 हैक्टर रामेश्वर के हिस्से मे 0.63 है तथा झाबर के हिस्से मे 1.12 हैक्टर भूमि बाहमी बंटवारे के अनुसार आई तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार तीनो भाई इसी अनुसार अपने अपने हिस्से को कास्त करते आ रहे हैं ख.न. 135 मे दोनो भाईयो ने जो मेड बनाई थी उसमे पेड़ लगे हुये हैं झाबर के हिस्से जो भूमि आई वह भूमि अप्रार्थी स.1 रामेश्वर के हिस्से मे जो भूमि आई उससे करीब 3 फिट की उंचाई पर स्थित हैं।

4- यह कि अप्रार्थी स.1 सबे बड़ा था तथा पढा लिखा था तथा बाकी दोनो भाई झाबर व बेगराज अनपढ थे जिनको कोई अकसर ज्ञान नही था अप्रार्थी स.1 बडा व पढा लिखा होने के कारण परिवार के ज्यादातर काम अप्रार्थी स.1 ही करता था तथा दोनो भाई अपने बडे भाई पर विश्वास करते थे तथा उसके कहे अनुसार ही करते थे अप्रार्थी स.1 रामेश्वर ने प्रार्थीया के पति व प्रार्थी स.2 लगायत 6 के पिता को बहला फसलाकर सन् 2007 मे ख.न. 135 की भूमि के बंटवारे पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा कहा कि जिस तरह से हमने भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है उसके अनुसार ही भूमि का विभाजन करवा रहे हैं प्रार्थीगण के पिता व पति अनपढ होने के कारण अपने भाई पर विश्वास कर लिया तथा जहां पर अप्रार्थी स.1 ने कहा वही पर अपना अगूठा लगा दिया अप्रार्थी स.1 चालाक किस्म का व्यक्ति हैं जिसने अपनी चालाकी से बाहमी बंटवारे के अनुसार विभाजन न करवाकर ख.न. 135 को 1/2 , 1/2 हिस्से मे विभाजन करवा लिया जबकि अप्रार्थी स.1 मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार सिर्फ 0.63 हैक्टर भूमि पर ही काबिज था तथा झाबर को कम उपजाउ भूमि होने के कारण अधिक भूमि दी गई थी तथा झाबर 1.12 हैक्टर भूमि पर काबिज था अप्रार्थी स.1 ने बेईमानीपूर्वक अपने हिस्से मे ख.न. 135 मे 0.87 हैक्टर भूमि अपने ना[illegible] हैक्टर भूमि झाबर के नाम से दर्ज करवा दी जबकि वादीगण [illegible] 1.12 हैक्टर भूमि पर कब्जा हैं तथा उपरोक्त भूमि क[illegible] की सीव के मध्य 1986 से ही नीम कीकर व [illegible] जो कि आज भी मौके पर मौजूद हैं विभाजन होने के [illegible] मे ख.न. 135/2 तथा अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

स.1 के हिस्से मे ख.न. 135/1 रकबा 0.87 हैक्टर दर्ज हुआ जबकि मौके पर वादीगण के पास ख.न. 135 के 1.12 हैक्टर भूमि पर दक्षिण की तरफ कब्जा है तथा वादीगण ही उक्त भूमि को कास्त करते आ रहे हैं उक्त भूमि अप्रार्थी स.1 की भूमि से करीब 3 फिट की उंचाई पर स्थित हैं।

5- यह कि उक्त भूमि का वर्तमान मे सिगरेशन होने पर वादीगण के हिस्से मे आई भूमि के हाल ख.न. 776/135 रकबा 0.88 हैक्टर तथा अप्रार्थी स.1 के हिस्से मे ख.न. 135/1 के स्थान पर ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर दर्ज हो गये जबकि हाल ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर के दक्षिण हिस्से मे 0.24 हैक्टर भूमि पर जो वादी के ख.न. 776/135 से गलती हुई हैं पर वादीगण काबिज कास्त हैं जो कि सन् 1986 से ही चले आ रहे हैं तथा वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा कास्त हैं तथा कब्जे के अनुसार ही मौके पर मेड बनी हुई हैं जो कि बाहमी बंटवारा हुआ तभी की बनी हुई हैं तथा आज भी मौके पर वही मेड हैं।

6- यह कि सन् 1986 से 1.12 हैक्टर भूमि पर वादीया स.1 के पति व वादी स.2 लगायत 6 के पिता का कब्जा निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के चला आ रहा हैं जो कि वर्तमान मे भी हैं वादीगण को जब भूमि के रिकॉर्ड के बारे मे पता चला कि प्रतिवादी स.1 ने भूमि को विभाजन बाहमी बंटवारे के अनुसार न करवाकर 1/2, 1/2 करवा लिया हैं तो दोनो के बीच मे मनमुटाव हो गया तथा इसी मनमुटाव को दूर करने के लिये वादीगण के पिता व पति तथा अप्रार्थी स.1 के मध्य दिनांक 30.01.2011 को एक पंच फैसला हुआ तथा पंच फैसले के अनुसार भूमि ख.न. 135/1 वर्तमान ख.न. 135 का दक्षिण हिस्से की करीब 0.24 हैक्टर भूमि अप्रार्थी स. 1 ने 9 लाख रू. मे झाबर को बेचान कर दी तथा मूल्य के समस्त पैसे नगद प्राप्त कर लिये इस प्रकार वादीगण की भूमि ख.न. 135/2 वर्तमान ख.न 776/135 के उतरी तरफ एक पानी का होद हैं उसके पांच फि उतर की तरफ ख.न 135 मे वादीगण का कब्जा कास्त हैं उक्त 2450 वर्गमीटर भूमि यानि की 0.24 हैक्टर भूमि वादीगण को बेचान कर दी तथा उसी फैसले मे झाबर व प्रतिवादी स.1 ने आपस मे अन्य मकान व सामान बाबत भी लिखापढी की थी जिस पर बर्तोर गवाह लीलाधर, भगवाना, गोरधन ने अपने हस्ताक्षर किये थें तथा अप्रार्थी स.1 ने 9 लाख रू. प्राप्त करके अपने हस्ताक्षर किये थे तथा अप्रार्थी स.1 ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर भूमि मे से 0.24 हैक्टर भूमि का बेचान झाबर को कर चुका है तथा अपने सम्पूर्ण अधिकार झाबर को दे दिये झाबर उपरोक्त वर्णित भूमि पर सन् 1986 से ही काबिज कास्त चला आ रहा हैं उक्त बेचाननामा पंच फैसला 100/–रू. के स्टाम्प पेपर पर तहरीर तकमील करवाया था इस प्रकार से वादीगण उक्त भूमि पर सन् 1986 से ही निर्बाध रूप से काबिज कासत चले आ रहे हैं इस कारण से वादीगण को उपरेक्त वर्णित 0.24 हैक्टर भूमि मे खातेदरी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिसकी घो[illegible]कारी हैं।

7- यह कि वाद वर्णित भूमि ख.न. [illegible] रक[illegible] 0.87 हैक्टर मे से दक्षिणी की तरफ 0.24 हैक्टर भूमि [illegible] का स[illegible]86 से ही काबिज कास्त चले आ रहे हैं जो कि प्रार्थीगण [illegible] सटती हुई हैं जो मौके पर मेड बनी हुई हैं तथा उक्त मेड [illegible] 1986 से ही नीम, कीकर, बेर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 13:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहुत पुराने पेड़ खड़े हैं जो वादीगण के कब्जेकास्त की भूमि व अप्रार्थी स. 1 की भूमि को अलग – अलग करते हैं मौके पर अप्रार्थी स.1 का 0.63 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा हैं तथा वादीगण का 1.12 हैक्टर भूमि पर कब्जा कास्त हैं तथा उसी अनुसार मौके पर मेड बनी हुइ हैं अप्रार्थी स.1 अपनी भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर मे से 0.24 हेक्टर भूमि का बेचान झाबर को दिनांक 30.01.2011 को कर दिया था तथा विकय के 9 लाख रू. प्राप्त कर लिये थे लेकिन वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा सन् 1986 मे बाहमी बंटवारा हुआ उसी समय से चला आ रहा हैं तथा वादीगण उक्त भूमि पर सन् 1986 से ही काबिज कास्त चले आ रहे हैं इस प्रकार विपरित कब्जे व बेचाननामे के आधार पर वादीगण को इस भूमि मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिस कारण से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं वर्तमान मे वादीया स. 1 का पति व वादी स.2 लगायत 6 का पिता वर्तमान मे फौत हो चुका हैं तथा वादीगण उसके विधिक उतराधिकारी हैं।

8- यह कि अप्रार्थी स.1 बहुत ही चालाक प्रवति का व पढा लिखा हैं उसने वादीगण के पिता को ख.न. 135 मे से 0.24 हैक्टर भूमि 9 लाख रू. मे बेचान कर पैसे प्राप्त कर लिये व उसके बाद में प्रतिवादी स.1 ने बेईमानीपूर्वक आशय से उक्त जमीन के विकय पत्र अपने पुत्रो , अपनी पत्नि , अपने लड़को की पत्नियो व अपने लड़को के सालो व स्वयं की पुत्री व उसकी लड़की तथा अन्य सगे संबधियो के नाम करवा दिये उक्त सभी विकय पत्र प्रार्थीगण के हक व अधिकारो पर शुन्य व निष्प्रभावी हैं जिससे अप्रार्थी स.2 लगायत 24 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते हैं।

9- यह कि अप्रार्थी स.1 के नाम से दर्ज भूमि ख.न. 135 के बीच से बुहाना नारनौल बाई पास रोड निकल गई हैं जिस कारण से उक्त भूमि की कीमत करोडो मे हो गई हैं जिसकी वजह से अप्रार्थी स.1 के मन मे बेईमानी आ गई हैं तथा इसी बेईमानी के कारण से उसने वादीगण को जो 0.24 हैक्टर भूमि 9 लाख रूपये मे बेचान की थी जिस पर वादीगण के पिता बाहमी बंटवारे के समय अर्थात् सन् 1986 से ही काबिज कास्त चले आ रहे हैं तथा मौके पर उक्त भूमि वादीगण की भूमि ख.न. 776 / 135 के उतरी तरफ सटती हुई हैं व वादी की भूमि को उसमे शामिल करते हुये वादीगण की 1.12 हैक्टर भूमि पर मेड बनी हुई हैं उक्त भूमि 3 फि की उंचाई पर स्थित हैं तथा जिस भूमि ख.न. 135 के 0.63 हैक्टर पर अप्रार्थी स.1 का कब्जा हैं वह भूमि वादीगण की भूमि से करीब 3 फिट निची हैं जिससे भी भली भांति साबित हैं कि उक्त 0.24 हैक्टर भूमि पर वादीगण ही काबिज कास्त हैं तथा उक्त दोनो भूमियो की मेड पर नीम कीकर व बेर के बहुत सारे पेड़ लगे हुये है जो कि बाहमी बंटवारे के समय लगाये गये थे तथा आज भी मौके पर मौजूद हैं लेकिन अप्रार्थी स.1 बेईमानीपूर्वक वादीगण के कब्जेकास्त व कयशुद्धा भूमि के नुमाईशी विकय पत्र प्रतिवादी स. 2 लगायत [illegible] प्रतिफल प्राप्त किये कर दिये हैं उक्त सभी प्रतिवादीगण प्रतिवादी [illegible] पुत्र , पुत्री , पुत्रो के साले उनकी बहुए , पुत्री की लड़की , दामाद व अन्य [illegible] संबंधी है इस प्रकार उक्त सभी विकय पत्र बिना किसी [illegible] तथा वादीगण को उनके अधिकारो से वंचित करने के लिए किये [illegible] हैं इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

स.1 के विरूद धोखाधड़ी का एक मुक्दमा भी पुलिस थाना सिघाना मे दर्ज करवाया है जो कि एफ.आई.आर. न. 143/21 हैं उक्त सभी विकय पत्र वादीगण के हक व अधिकारो पर शुन्य व निष्प्रभावी हैं वादीगण सन् 1986 से ही उक्त 0.24 हैक्टर भूमि पर कब्जा कास्त चले आ रहे हैं तथा दिनांक 30.01.2011 को प्रतिवादी स.1 ने उक्त भूमि के बाबत झाबर से 9 लाख रू. प्राप्त करके उक्त 0.24 हैक्टर भूमि को झाबर को विकय कर दिया था इस प्रकार वादीगण उक्त 0.24 हैक्टर भूमि को अपने नाम से खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती पेश कर रहे हैं।

10- यह कि अप्रार्थी स. 2 लगायत 25 अप्रार्थी स.1 से मिलकर अपने हक मे दर्ज शुन्य व निष्प्रभावी विकय पत्रो के आधार पर अब वादीगण के कब्जे कास्त की भूमि जिस पर वादीगण सन् 1986 से ही निरन्तर काबिज कास्त चले आ रहे हैं तथा दिनांक 30.01.2011 को प्रतिवादी स.1 ने वादीगण के पिता से 9 लाख रूपये लेकर उक्त 0.24 हैक्टर भूमि झाबर को बेचान कर दी थी जिस बाबत 100 रू. के स्टाम्प पर लिखापढी भी की गई थी अब वर्तमान मे जब वादीया स.1 का पति व वादी स.2 लगायत 6 का पिता दिनांक 02.05.2021 को फौत हो चुका हैं उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से वादीगण की भूमि ख.न. 776/135 रकबा 0.88 हैक्टर तथा कयशुद्धा व कब्जेशुद्धा भूमि जो कि ख.न. 135 की दक्षिणी तरफ व ख.न. 776/135 के उतरी तरफ हैं जो कि 0.24 हैक्टर जिसको वादीगण ने अपनी भूमि ख.न. 776/135 के साथ शामिल करते हुये मेड बना रखी थी तथा उक्त मेड मे नीम कीकर व बेर के पेड़ लगा रखे थे तथा उपरोक्त भूमि को वादीगण के पिता झाबर बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज कास्त करते आ रहे हैं को अप्रार्थी स.2 लगायत 25 गलत नुमाईशी विकय पत्रो के आड मे जबरन लठ के बल पर कब्जा कास्त करना चाहते हैं तथा वादीगण की 0.24 हैक्टर भूमि पर जबरन कास्त करने की फिराक मे हैं जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही हैं । अप्रार्थी स.1 लगायत 25 के इस कुचक में अप्रार्थी स. 26 व 27 भी सहयोग कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण को आये दिन अप्रार्थी स. 27 धमकी देता है कि ख.न. 135 के दक्षिणी की तरफ 0.24 हैक्टर भूमि को खाली कर दे वरना जबरन तुम्हे जेल मे डालकर उक्त भूम पर अप्रार्थीगण का कब्जा करवा दूंगा जबकि अप्रार्थी स. 27 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही हैं इसलिए प्रार्थीगण के लिय यह आवश्यक हो जाता हैं कि वे अप्रार्थी स. 1 लगायत 27 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वो वादीगण की भूमि ख.न. 776/135 व ख.न. 135 के दक्षिण की तरफ 0.24 हैक्टर भूमि जिस पर की वादीगण ने बाड व तारबन्दी कर रखी हैं मे वादीगण के कब्जे कास्त मे दखलांदाजी ना करे तथा मेड पर खड़े कीकर , नीम व बेर आदि के पेड़ो को जबरन ना उखाड़े तथा वादीगण की भूमि पर जबरंन कब्जा ना करे तथा प्रतिवादी स. 27 को भी पाबन्द किया जावे कि [illegible] सिफ राठोड़ी मे प्रतिवादी स.1 लगायत 25 से पैसे लेकर आये [illegible] गीगण को धमकी देता है कि वह वादीगण को जबरन [illegible] उनकी जमीन का कब्जा जबरन से प्रतिवादी स.1 [illegible] प्रतिवादी स. 27 ऐसा कोई विधि विरूद कार्य बिना [illegible] करे तथा उपरोक्त भूमि ख.न. 135

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

के दक्षिणी भाग के 0.24 हैक्टर भूमि पर जिस वादीगण का कब्जा सन् 1986 से चला आ रहा हैं वादीगण को जबरन बेदखल न करे ऐसा न स्वयं करे न अपने मातहत कर्मचारीयो आदि से कराये।

11- यह कि प्रार्थीगण के कब्जे कास्त की भूमि के नजदीक से बाई पास रोड निकल गई हैं जिस कारण से उक्त भूमि की कीमत करोडो मे हो गई हैं जिस कारण से अप्रार्थी स.1 लगायत 25 के मन मे बेईमानी आ गई हैं तथा प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य मे प्रतिवादी स. 26 व 27 भी साथ दे रहे हैं क्योकि राजस्व नियमो के अनुसार किसी भी कृर्षि भूमि का विक्रय पत्र का नामान्तकरण 0.11 हैक्टर से कम का दर्ज नही हो सकता हैं लेकिन प्रतिवादी स. 2 लगायत 25 के नाम से जितने भी विक्रय पत्र हुये हैं उनमे किसी के पास भी 0.11 हैक्टर भूमि नही हैं फिर भी इनके नाम से बिना किसी वैध कानून के नामान्तकरण दर्ज कर दिया हैं जिसमे प्रतिवादी स. 26 व 27 तथा पटवारी हल्का अनिल की मिली भगती साफ – साफ नजर आ रही हैं तथा प्रतिवादी स. 27 ने वादीगण को बेदखल करने का जिम्मा अपने उपर ले रखा हैं ताकि प्रतिवादी स.1 लगायत 25 का कब्जा दिलवाकर अपना हिस्सा प्राप्त कर सके जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही हैं इसलिये प्रतिवादीगण को ऐसा करने से रोकने के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं।

12- यह कि वाद वर्णित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर के दक्षिणी तरफ की 0.24 हैक्टर भूमि जिसको प्रतिवादी स.1 द्वारा 9 लाख रू. मे दिनांक 30.01.2011 को वादीगण के पिता झाबर को विक्रय कर दी थी व उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा सन् 1986 से बाहमी बंटवारे के समय से चला आ रहा हैं इस प्रकार उक्त भूमि पर वादीगण द्वारा सन् 1986 से ही कब्जा कास्त होने से वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला हैं यदि वादीगण के वैध कब्जे को जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल किया जाता हैं तो वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

13- यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम सिघाना मे स्थित हैं जो कि न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे हैं इसलिये इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

14- यह कि आवेदन पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

15- यह कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र नवीनतम जमाबन्दी के आधार पर पेश किया हैं।

16- यह कि शपथ पत्र वादी सलंग्न हैं।

17- यह कि प्रार्थीगण का यह मामला प्रथम दृष्टया हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे हैं तथा अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकता ।

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] हैं

यह कि अप्रार्थी स.1 लगायत 25 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि सिघाना स्थित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दक्षिणी हिस्से की तरफ 0.24 हैक्टर भूमि के हिस्स पर जो पानी की होद से करीब 5 फिट उत्तर की तरफ जहां पर वादीगण व प्रतिवादी के खेत की सीव बनी हुई हैं जो कि बाहमी बंटवारे के समय सन् 1986 मे बनाई गई थी तथा उक्त मेड में नीम कीकर व बेर आदि के पेड़ लगे हुये हैं उक्त भूमि प्रतिवादीगण की भूमि से करीब 3 फिट की उंचाई पर स्थित हैं उक्त भूमि पर अप्रार्थी स. 1 लगायत 25 जबरन कब्जा ना करे तथा वादीगण के कब्जे कास्त मे किसी प्रकार की दखलांदाजी न करे तथा मेड मे खड़े पेडो को ना काटे तथा अप्रार्थी स. 26 को पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थी स.1 लगायत 25 द्वारा पेश किसी दस्तावेज को तस्दीक न करे तथा अप्रार्थी स. 27 को पाबन्द किया जावे कि गलत रिकॉर्ड की आड में वादीगण के कब्जे कास्त की भूमि पर जबरन नपति न करे तथा न ही वादीगण को जबरन उनकी कब्जेशुद्धा भूमि से बिना किसी विधिक प्रकिया के बेदखल करे व जबरन उक्त भूमि पर अप्रार्थी स.1 लगायत 25 का कब्जा करवाये ऐसा न स्वयं करे न अपने किसी मातहत कर्मचारी आदि से करवाये।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई जिसमें से 1 लगायत 25 की ओर से राजेश कुमार यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब आवेदन पत्र मय काउन्टर टी.आई.इस प्रकार प्रस्तुत किया कि –

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 1 मे भूमि का वर्णन स्वीकार है यह भूमि पहले संयुक्त खातेदारी की होने व बाद मे इसका नामान्तरकरण सं. 394 के जरिए परस्पर सहमती के करार से खाता विभाजित हो चुका है दिनांक 31. 01.2007 को खातेदार रामेश्वर एवं बेगराज व झाबर ने सहमति से तहसीलदार पटवारी गिरदावर एवं सरपंच ग्राम पंचायत की उपस्थिति मे सहमति से खाता विभाजित करवाया है एवं अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये है तो अब इसका संयुक्त खातेदारी की बताये जाने का प्रश्न ही नही है।
2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 2 गलत होने से स्वीकार नही है जब आवेदकगण इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ख.न. 113, 119, एवं 131 कुल 0.73 है. रकबा बेगराज के हिस्से मे आया था एवं ख.न. 135 रामेश्वर व झाबर के हिस्से मे आया था तो जब विभाजन मे बेगराज को उसका सही हिस्सा मिला है तो यह कैसे कह सकते है आवेदकगण को उनका हिस्सा नही मिला अर्थात एक ही दस्तावेज आंशिक रूप से सही एवं आंशिक रूप से गलत नही कहा जा सकता है जबकि विभाजन दिनांक 31.01.2007 को आवेदकगण ने कही भी चैलेन्ज नही किया है उस विभाजन पर कोई आपति आज तक जाहिर नही की गई है। जबकि अनावेदक रामेश्वर की भूमि के कुछ भाग मे से 100 फीट बाईपास सड़क का भी निर्माण हो चुका है आवेदकगण ने झाबर के मरने के बाद एक कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है जिसके बाबत अनावेदक रामेश्वर ने पुलिस थाना सिंघाना [illegible] / 2021 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467,468, 471, 120 बी. भा[illegible] संहिता के अपराध की एवं धारा 384 भा.द.स. के अपराध की दर्ज करवा[illegible]
3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड [illegible] है स्वीकार नही है जब खातेदार बेगराज , रामेश्वर एवं झाबर [illegible] सहमति से सक्षम राजस्व अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तहसीलदार बुहाना के समक्ष सहमति का इकरारनामा लिख कर अपने सुन समझकर हस्ताक्षर करके सरपंच ग्राम पंचायत सिंघाना पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की उपस्थिति मे मजमे आम मे उपस्थित होकर अपने हिस्से के अनुसार विभाजन करवाया है जिसमे अनावेदकगण रामेश्वर से 0.01 है. रकबा अधिक लिया है सह खातेदार बेगराज से 0.13 है. रकबा ज्यादा लिया है एवं तहसीलदार बुहाना के आदेश कमाकं गांव के साथ अभियान/सिंघाना/03 दिनांक 31.07.2007 के द्वारा नामान्तरकरण सं. 394 दर्ज हुआ है तो उक्त आदेश के खिलाफ कोई आपति या अपील नही की जा सकती है क्योकि वह सहमति से किया गया है आवेदकगण ने सभी तथ्य झूठे एवं मनगढत दर्ज किये है जब तीनो खातेदारो ने मौके पर कब्जा एवं रिकार्ड मे हिस्से के अनुसार सक्षम राजस्व अधिकारी के समक्ष राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अनुसार परस्पर करार से अपना खाता विभाजित करवाया है तो इससे पहले विभाजन का प्रश्न ही नही है जबकि वास्तविकता तो यही है कि अनावेदकगण रामेश्वर के हिस्से मे आई भूमि मे से अब सन् 2020—21 मे 100 फीट बाईपास सड़क का निर्माण हो गया है इस सड़क मे रामेश्वर का रकबा भी चला गया है। लेकिन राज्य राजमार्ग बनने से इसकी कीमत बढ गई तो आवेदकगण के मन मे बेईमानी आ गई एवं आवेदकगण ने यह झूठा मुकदमा किया है जो खारीज योग्य है। जब ख.न. 135 का विभाजन होकर नये ख.न. 135 एवं 776/135 बन गये है उनका नक्शा तरमीम होकर सीमाऐ कायम हो चुकी है तो आवेदकगण का यह दावा पोषणीय ही नही है।

4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 4 गलत है स्वीकार नही है अनावेदक सं. 1 ने आवेदकगण के शादी विवाह एवं पालन पोषण किया है उन्हे पढाया लिखाया नौकरी भी लगाया है। झाबर व बेगराज पढना व हस्ताक्षर करना जानते है आवेदकगण सं. 1 भी पढा लिखा है आवेदकगण सं. 2 भी पढा लिखा है दोनो ही नौकरी करते है एवं अपने पिता झाबरमल के साथ एक ही परिवार मे रहते रहे है बंटवारा सन्2007 मे जो हुआ है वह मजमे आम मे सैकड़ो लोगो की उपस्थिति मे तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी एवं ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी मे हुआ है एवं सन् 2007 से सन् 2021 तक 14 वर्ष तक आवेदकगण ने अपने आचरण से एवं मौके पर कब्जा कास्त से उसे सही होना स्वीकार किया है अब 14 वर्ष बाद इस पर वह आपति नही कर सकते है जबकि अब भी उस सहमति के विभाजन के खिलाफ तो कोई आपति नही की है। सहमति से किये गये विभाजन के खिलाफ दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को नही है यदि कोई आपति है तो केवल उस निर्णय को सिविल न्यायालय मे दस्तावेज निरस्त हेतु आवेदन पेश करके ही चैलेन्ज किया जा सकता है उपखण्ड अधिकारी का न्यायालय अपीलीय न्यायालय ही नही है इसलिए यह दावा खारीज योग्य है आवेदकगण स्वयं चालाक व बेईमान किस्म के आपराधिक व्यक्ति है उनके मन मे बेईमानी आ गई है एवं वे अब जवाबदाताओ की भूमि को हड़पने के लिए झूठे विआवेदन किये है कूटरचित दस्तावेज तैयार किये है जबकि आवेदकगण के हकपूर्वाधिकारी झाबर को रामेश्वर से 0.01 है. (100 वर्गमीटर) रकबा अधिक मिला है एवं बेगराज से 0.13 है. अर्थात 1300 वर्गमीटर रकबा अधिक मिला है लेकिन उसके मन मे अब भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बेईमानी है जो जबरन जवाबदाताओ की भूमि पर कब्जा करना चाहता है दिनांक 30.04.2021 की पटवारी हल्का सिंघाना की फर्द मौका रिपोर्ट है उसके बाद उपखण्ड अधिकारी के आदेश से गिरदावर हल्का एवं पटवारी मौके पर गये थे फर्द मौका रिपोर्ट बनाई थी उसकी भी नकले संलग्न जवाब एवं प्रतिदावा है इस प्रकार आवेदन वर्णित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 है. जवाबदाताओ की खातेदारी की कृषि भूमि है एवं आवेदकगण का इससे कोई सम्बन्ध सरोकार नही है उन्होने झूठा दावा किया है जो खारीज योग्य है।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 5 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नही है ख.न. 776 / 135 रकबा 0.88 है. आवेदकगण की भूमि है ख.न. 135 रकबा 0.87 है. जवाबदाताओ की भूमि है ख.न. 135 के दक्षिणी 0.24 है रकबा पर आवेदकगण का कभी भी कब्जा नही था ना ही उन्हे ऐसा करने का कभी हक व अधिकार था आवेदकगण के मन मे बेईमानी है वे गलत रूप से अपने आपराधिक प्रवृति से जोर जबरदस्ती जवाबदाताओं आवेदनकर्ताओ की भूमि पर कब्जा करना चाहते है ज़िसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। आवेदकगण का सन् 1986 से जवाबदाताओं की भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही नही है बल्कि ख.न 776 / 135 एवं 135 की मेड़ राजस्व नक्शा के अनुसार बनी हुई है एवं आवेदकगण जबरन से जवाबदाताओ की भूमि पर कब्जा करना चाहते है।

6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 6 गलत होने से स्वीकार नही है आवेदकगण ने परस्पर विरोधाभाषी एवं झूठे तथ्य अंकित किये है आवेदकगण ने जो 100 / रूपये का स्टाम्प पर दिनांक 30.01.2011 को पंच फैसला होना बताया है वह कूटरचित है उस पर अनावेदकगण रामेश्वर के हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित किये है एवं गवाहान के रूप मे लीलाधर गोरधन एवं भगवाना के हस्ताक्षर भी कूटरचित किये है तथा उक्त लिखावट भी कूटकरण कर तैयार की है यहां तक स्टाम्प पर अंगूठा निशानी जो झाबर की है वह भी कूटरचित है एवं फर्जी है उक्त लिखावट का जो सार है उसी से स्पष्ट है कि यह फर्जी एवं कूटरचित है तथा उक्त लिखावट की आड मे आवेदकगण जवाबदाताओं / अनावेदकगण की भूमि को हड़पना चाहते है जिस कारण जवाबदाता रामेश्वर ने अभियुक्तगण के खिलाफ एफ.आई.आर. 164 / 2021 पुलिस थाना सिंघाना मे धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की दर्ज करवाई है इस प्रकार आवेदकगणग ने कूटकरण का अपराध कर उसे फर्जी दस्तावेज एवं मुकदमे का भय दिखाकर उद्यापन किया है एवं यह झूठा दावा भी कर दिया है आवेदकगण ने एक तरफ तो सन् 1986 मे आवेदकगण को 1.12 है. रकबा देना बताया है दूसरी तरफ 0.24 है. रकबा 9 लाख रूपये मे रामेश्वर से खरीदना बताया है यदि उसे पहले 1986 मे दे दिया था तो फिर उसने 9 लाख रूपये क्यो दिये इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये है साथ ही कूटरचित एवं फ[illegible] आवेदकगण का दावा खारीज योग्य है। ख.न. 135 का 0.87 है [illegible] पर ही जवाबदाताओं का कब्जा है। जिसकी सीमा [illegible] तोड़ा है एवं करीब 0.10 है. रकबा पर बाधा का[illegible] मे फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 30.04.2021 [illegible] पटवारी गिरदावर दिनांक 03.06.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मे स्पष्ट उल्लेख है इस प्रकार आवेदकगण ने यह झूठा दावा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पेश किया है जो खारीज योग्य है।

7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 7 गलत होने से स्वीकार नही है आवेदकगण ने बार – बार झूठे तथ्यो को दोहराया है एवं भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 है. मे से 0.24 है. रकबा को गलत रूप से अपना होना बताया है दस्तावेज को कूटकरण कर तैयार किया है एवं गलत रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेईमानीपूर्वक आशय से हमने झूठे हक के दावा का समर्थन करने के लिये जो दस्तावेज बनाया है उसके लिये उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है साथ ही राजस्व रिकार्ड एंव तहसीलदार के समक्ष करार के द्वारा करवाया गया खाता विभाजन एवं नामान्तरकरण सं. 394 ऐसी सम्पूर्ण साक्ष्य है जिससे जवाबदाता भूमि ख.न. 135 के रकबा 0.87 है के खातेदार है जब आवेदकगण अपने आवेदन पत्र मे एक तरफ तो 1986 से अपने पास 1.12 है. रकाब बताते है दूसरी तरफ 9 लाख रूपये मे 0.24 है. रकबा खरीदना बताते है जिस दस्तावेज का वर्णन करते है उसमे 2450 वर्गमीटर का उल्लेख किया है एवं तथा कथित दिनांक 30.01.2011 के फर्जी लिखावट से खातेदारी मांग रहे है जो फर्जी होने के साथ – साथ साक्ष्य मे ही ग्राहय नही है इसलिये आवेदकगण का दावा खारीज योग्य है आवेदकगण ने एक तरफ तो इस भूमि के 0.24 है. पर सहमति से अर्थात 1986 से कब्ज बताया है दूसरी तरफ 9 लाख रूपये मे खरीद करना बताया है तीसरा विपरित कब्जा के आधार पर अपने आपको खातेदार होना बताया है इस प्रकार आवेदकगण का दावा परस्पर विरोधाभाषी एवं अस्पष्ट व कानून के विपरीत अभिवचनों पर आधारति होने से खारीज योग्य है।

8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 8 गलत होने से स्वीकार नही है अनावेदक सं. 1 ने कभी भी 0.24 है. रकबा 9 लाख रूपये मे आवेदकगण को नही बेचा है बल्कि आवेदकगण ने गलत एवं कपटपूर्वक आशय से कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है जिससे आवेदकगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है अनावेदकगण सं. 2 लगायत 24 जो खातेदार है उनके खातेदारी अधिकारो से आवेदकगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है।

9. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड ने. 9 गलत होने से स्वीकार नही है ख.न. 135 रकबा 0.87 है. मे से राज्य राजमार्ग का बाईपास रोड़ निकलने से आवेदकगण के मन मे बेईमानी आ गई क्योकि वह सड़क अनावेदक सं. 1 के नाम रही ख. न. 135 रकबा 0.87 है. मे से निकली है जिसके मुआवजे के बाबत भी अन्तिम निर्णय अभी नही हुआ है उक्त सड़क से जवाबदाताओं की भूमि की कीमत बढने से आवेदकगण ने कपटपूर्वक बेईमानी पूर्वक आशय से जवाबदाताओं की भूमि को हड़पने की नियत से अपने झूठे हक के दावा के समर्थन के लिये एक कूटरचित दस्तावेज दिनांक 30.01.2011 की तिथि का बाद मे कूटकरण कर तैयार कर अनावे[illegible]न भगवाना के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसको गलत होते हुये [illegible]ा बताकर उसका उपयोग कर यह दावा व आपराधि[illegible] मुकदमो का भय दिखाकर जवाबदाताओ की [illegible] है जिसके लिये आवेदकगण के खिलाफ एफ.आई.आर. नं. [illegible] पुलिस थाना सिंघाना मे मुकदमा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

करवाया गया है साथ ही आवेदकगण को ऐसे किसी दस्तावेज से कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है इसलिये आवेदकगण का आवेदन बिना किसी हैतुक के है एवं खारीज योग्य है।

10. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 10 गलत होने से स्वीकार नही है आवेदकगण ने सभी तथ्य झूठे दर्ज किये है इस बाबत पूर्व के खण्डो मे विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है 100/रूपये के स्टाम्प पर कूटकरण किया गया उसके लिये आपराधिक मुकदमा दर्ज है एवं ऐसा स्टाम्प से कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है जब राजस्व रिकार्ड बना हुआ है एवं उस रिकार्ड के खिलाफ आज तक कभी आपति नही की गई है 14 वर्ष पुराना सहमति से किया गया विभाजन जो सक्षम राजस्व अधिकारीयो द्वारा तैयार किया गया है उसके सही होने की अवधारणा है। भूमि ख.न. 135 पर जवाबदाताओं का शान्तिपूर्वक कब्जा है जब आवेदकगण की ख.न. 135 मे कोई भूमि ही नही है तो एक खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा कभी भी जारी नही की जा सकती है आवेदकगण का आवेदन पत्र खारीज योग्य है।

11. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 11 गलत है स्वीकार नही है आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि जवाबदाताओं की है एवं 31.01.2007 से अनावेदक सं. 1 इसका एकाकी खातेदार था एवं उसके बाद शेष जवाबदाता भी खातेदार है मन मे बईमानी आवेदकगण के आई है जो सन् 2020-21 मे इसमे से राजस्थान राज्य राजमार्ग का बाईपास रोड़ बनने से इसकी कीमत बढने से आवेदकगण इस भूमि का कुछ रकबा बेईमानी पूर्वक हड़पना चाहते है इसलिये आवेदकगण ने झूठा दावा किया है जो खारीज योग्य है। 0.11 है. से कम भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नही होने का लैण्ड रेवेन्यू एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे कोई प्रावधान नही है बल्कि यहां तक प्रावधान है कि यदि कोई बेचान मीटर मे है तो उसे हैक्टर मे परिवर्तित कर उसका नामान्तरकरण दर्ज किया जावे जवाबदाताओ का इस भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा है एवं वे इसके खातेदार है उनके हक अधिकारो की सुरक्षा करना राजस्व अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो का विधिक दायित्व है।

12. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 12 सरासर गलत होने से खारीज योग्य है जवाबदाता आवेदन वर्णित भूमि के खातेदार है एवं काबिज काश्तकार है आवेदकगण ने पहले सीमा को लेकर विवाद किया बाद मे तारबाड़ छड़ियो को लेकर विवाद किया अब जवाबदाताओ / अनावेदकगण के 0.24 है. रकबा को अपना बताकर दावा किया है इसलिये जवाबदाताओं द्वारा भी अपने हक की सुरक्षा हेतु काउन्टर आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है यदि जवाबदाताओं की खातेदारी की भूमि के किसी भाग पर आवेदकगण अतिक्रमण करते है या जबरन कब्जा कर लेगे तो अपूर्तनीय क्षति जवाबदाताओं/ अनावेदकगण को है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदकगण के खिलाफ जारी किये जाने योग्य है।

13. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड [illegible] से स्वीकार नही है जवाबदाता रामेश्वर एवं आवेदकगण के ह[illegible] झाबरमल एवं उनके भाई बेगराज ने धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी [illegible] के अनुसार परस्पर करार से अर्थात सहमति [illegible] विभाजन करवाया है इसलिये उस खाता विभाजन के आदेश [illegible] ील हो सकती है ना ही उसके खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

कोई आपति हो सकती है यदि आवेदकगण उक्त सहमति धोखे से होना बताते है तो उसके लिये केवल सिविल न्यायालय मे दस्तावेज के निरस्त का दावा ला सकते है न्यायालय श्रीमानजी को यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है इसलिए यह आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज योग्य है। साथ ही करार दिनांक 31.01.2007 को खाता विभाजन हुआ है जिसमे तीन खातेदारो की खातेदारी का विभाजन हुआ खातेदार बेगराज के विभाजन की तो दावा मे कोई आपत्ति ही नही है इसलिए किसी भी दस्तावेज के कुछ भाग पर आपत्ति व कुछ भाग की स्वीकृति पोषणीय नही है इसलिये भी आवेदकगण का आवेदन पत्र खारीज योग्य है।

14. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 14 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।
15. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 15 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।
16. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 16 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।
17. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 17 गलत होने से स्वीकार नही है प्रथम दृष्टया मामला अनावेदकगण का है अनावेदकगण ही इस भूमि पर काबिज कास्त है सुविधा का संतुलन भी अनावेदकगण के पक्ष मे है तथा अपूर्तनीय क्षति भी अनावेदकगण को है आवेदकगण का उक्त भूमि पर कब्जा कास्त ही नही है तो उन्हे अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही नही है।

अतः जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज किये जाने की कृपा करे।

काउन्टर आवेदन पत्र – अस्थाई निषेधाज्ञा

मान्यवर महोदय,

अनावेदकगण सं. 1 लगायत 25 की ओर से काउन्टर आवेदन पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार सेवामे पेश है।

1. यह कि वाके ग्राम सिंघाना स्थित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 है. के खातेदार आवेदनकर्ता/अनावेदक सं. 1 लगायत 25 है जो अपनी खातेदारी की भूमि पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के सभी की जानकारी मे बतौर खातेदार काबिज कास्त है। इस भूमि से सटकर दक्षिण मे भूमि ख.न. 776/135 रकबा 0.88 है. स्थित है भूमि ख.न. 135 खाता विभाजित होकर सन् 2007 मे अलग हुआ था तभी से पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये नक्शे के अनुसार एवं रकबा के अनुसार पहले अनावेदक सं. 1 काबिज था बाद मे उसने अपने हिस्से एवं खातेदारी का 1/87 हिस्सा अपने पास रख लिया शेष अपने परिवार जनो रिश्तेदारो को स्थानान्तरित कर दिया जो अनावेदकगण सं. 2 लगायत 25 है इस प्रकार अनावेदकगण सं. 1 लगायत 25 अपनी खातेदारी की भू[illegible] बाधा के सन् 2007 मे विभाजन होने के बाद कायम सीमाओं क[illegible] निरन्तर काबिज चले आ रहे है।
2. यह कि सन् 2020-21 मे भूमि ख.न. [illegible] रकबा 0.87 है मे से राज्य राजमार्ग का निर्माण होने [illegible] चला गया शेष अनावेदकगण /आवेदनकर्ता सं. 1 [illegible] 25 [illegible] है लेकिन इसमे से सड़क का निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

होने से इसकी कीमत बढ गई तो आवेदकगण के मन मे बेईमानी आ गई उन्होने अनावेदकगण की भूमि को हड़पने का षड़यंत्र बनाकर एक कूटरचित स्टाम्प तैयार कर उस पर अनावेदकगण सं. 1 रामेश्वर व गवाह के रूप में भगवाना, गोरधन, लीलाधर आदि के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटकरण किया एवं जवाबदाताओं/अनावेदकगण की 2450 वर्गमीटर भूमि को 9 लाख रूपये मे बेचान करना लिख लिया उक्त दस्तावेज की जानकारी होने पर आवेदनकर्ता /अनावेदकगण सं. 1 ने आवेदकगण के खिलाफ एफ.आई.आर. नं. 164/2021 पुलिस थाना सिंघाना मे धारा 420, 467, 468, 471, 384 सपठित धारा 120 बी भा.द.स. के अपराध की दर्ज करवाई है जिस पर आवेदकगण और भी आकामक हो गये एवं ख.न. 135 एवं ख.न. 776/135 की सीमा को उखाड़ कर नष्ट कर दिया एवं आवेदनकर्ताओ की भूमि पर कब्जा करने की नियत से लड़ाई झगड़ा करने लगे एवं तार एवं लोहे की बाड़ लाकर डाल दी जिस पर काउन्टर आवेदनकर्ता/अनावेदक सं. 1 ने तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. बुहाना को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 03.06.2021 को पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का मौके पर गये इससे पहले दिनांक 30.04.2021 को झगड़ा किया तो आवेदनकर्ता /प्रति.सं. 1 ने नायब तहसीलदार सिंघाना को प्रार्थना पत्र पेश किया जिन्होने पटवारी हल्का को मौका देखने का आदेश दिया तो उन्होने फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की इस प्रकार आवेदकगण माह अप्रैल 2021 से कोरोना महामारी फैलने का दुरूपयोग करके काउन्टर आवेदनकर्ताओ को उनकी भूमि के कब्जा कास्त मे दखल करते हुये लड़ाई झगड़ा करते है एवं अनावेदकगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

3. यह कि आवेदन वर्णित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 है. अनावेदकगण की एकाकी खातेदारी एवं कब्जा कास्त की भूमि है। आवेदकगण का अनावेदकगण की भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है आवेदकगण कूटरचित व अन स्टाम्पड अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर काउन्टर आवेदनकर्ताओ की भूमि को बाहुबल से जबरन से हड़पना चाहते है एवं अनावेदकगण के कब्जा कास्त उपयोग–उपभोग मे बाधा कारित करते है सीमाओं को तोड़कर जबरन से अनावेदकगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसका आवेदकगण को कोई हक व अधिकार नही है। एवं यदि आवेदकगण ने अनावेदकगण की भूमि ख.न 135 के किसी भी भाग पर अतिकमण या कब्जा कर लिया अथवा उसके सीमा चिन्हो को नष्ट किया तो अनावेदकगण/ काउटन्र आवेदनकर्ताओ को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन नही किया जा सकेगा। इसलिए अनावेदकगण के लिये अपने हक अधिकारों की रक्षा हेतु काउन्टर आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है।

4. यह कि जवाबदाता / अनावेदकगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी अनावेदकगण के पक्ष मे है तथा अपूर्तनीय क्षति भी अनोवदकगण/जवाबदाताओं को होगी है।

5. यह कि आवेदन मय अपील निगरानी के लिए 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी को पेश कर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चोहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

6. यह कि काउन्टर आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक/जवाबदाता का शपथ पत्र पेश हैं।
7. यह कि आवेदन पत्र मे वर्णित भूमी का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश हैं

अतः काउन्टर आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि आवेदकगण सं. 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम सिंघाना स्थित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 है0 मे काउन्टर आवेदनकर्ताओ / अनावेदकगण सं. 1 लगायत 25 के कब्जा कास्त उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करे किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही करे सीमा को नही तोड़े एवं अनावेदकगण की भूमि मे प्रवेश नही करे किसी प्रकार के खम्भे या तारबाड़ अनावेदकगण की भूमि मे नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे अनावेदकगण को उनकी भूमि के कब्जा कास्त मे दखल पहुँचे एवं अनावेदकगण की भूमि को क्षति कारित होती हो। प्रार्थीगण ने काउन्टर टी..आई. का जवाब इस प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 1 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं ख.न. 135 के अन्य ख.न. जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा किया गया हैं उनका बाहंमी बंटवारा 1986 मे ही कर लिया था तथा ख.न. 135 का दक्षिणी हिस्सा प्रार्थीगण के हिस्से में तथा उतरी हिस्सा प्रतिदावाकर्ता/अप्रार्थी स.1 के हिस्से मे आया हुआ था लेकिन अप्रार्थी स. 1 चालाक किस्म का व्यक्ति हैं उसने विभाजन कब्जे अनुसार न करवाकर 1/2 . 1/2 दर्ज करवा लिया। लेकिन मौके पर प्रार्थीगण को ख.न. 135 के दक्षिणी तरफ 1.12 हैक्टर पर कब्जा कास्त हैं तथा अप्रार्थी स.1 का उतरी तरफ 0.63 हैक्टर भूमि पर कब्जा कास्त हैं उसके पश्चात अप्रार्थी स.1 व प्रार्थीगण के पिता झाबर ने 30.01.2011 को अपनी भूमि व अपने घरेलू मकानो हेतु आपस मे मिलकर इकरारनामा/ बेचानामा किया तथा प्रार्थीगण ने अपनी भूमि ख.न. 135/2 के लगती हुई यानि की वर्तमान ख.न. 776/135 के उतरी तरफ 0.24 हैक्टर भूमि अप्रार्थी स.1 से 9 लाख रू. मे क्रय कर ली हालांकि प्रार्थीगण का कब्जा 1986 में ही 1.12 हैक्टर भूमि पर रहा हैं लेकिन फिर भी प्रार्थीगण के पिता ने उक्त 0.24 हैक्टर भूमि के लिए 9 लाख रू. अप्रार्थी स.1 को अदा कर दिये तथा बेचाननामा/ लिखावट व घर बंटवारा दर्ज करते हुए उक्त लिखावट दर्ज कर दी । अप्रार्थी स.1 उक्त बेचाननामा दिनांक 30.01.2011 से पाबंद है अप्रार्थी दिनांक 03.06.2021 से भी भली भांति दर्शित हैं तथा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 मे भी दर्ज हैं। तथा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06. 2021 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अपनी कब्जेशुद्धा भूमि 1.04 हैक्टर के चारो तरफ तारबाड़ होना पाया गया हैं जिससे भली भांति साबित हैं कि प्रार्थीगण का पू[illegible] अप्रार्थी स.1 ने जो गलत विभाजन 2007 मे करवाय है [illegible]नकारी होने पर प्रार्थीगण ने 9 लाख रू. अप्रार्थी [illegible] को अदा कर[illegible] है इसलिए उक्त विभाजन को चेलेन्ज करने की [illegible] स.1 का मात्र 0.63 हैक्टर भूमि उतरी तरफ [illegible] दक्षिण तरफ की 1.12 हैक्टर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के कब्जा कास्त हैं जिसमें तारबंदी कर रखी हैं तथा प्रार्थीगण के कब्जे कास्त की भूमि अप्रार्थी स.1 की भूमि से करीब 2 से 3 फिट सतह से उंचाई पर स्थित हैं तथा दोनो के मध्य सीमा पर पुराने पेड़ लगे हुए हैं तथा अप्रार्थी स. द्वारा उक्त अधिक भूमि जो प्रार्थीगण के शुरू से ही कब्जे कास्त में रही हैं उस बाबत मुल्य 9 लाख रू. प्राप्त कर लिये हैं अप्रार्थी स.1 द्वारा प्रार्थीगण के पिता व पति को जरिए इकररनामा द्वारा बेचान करने के पश्चात बेईमानीपूर्व आश्य से प्रार्थीगण को धोखा देने की नियत से उक्त भूमि को नुमाईशी विकय पत्रो से जरिए अपने पुत्र , पुत्रीय उसके सालो के नाम से अप्रार्थी स.2 से 24 के नाम से करवा दिया हैं ताकि प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अनुचित हानी हो सके। लेकिन उक्त विकय पत्र से अप्रार्थी स.1 का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते हैं पटवारी द्वारा फर्द मौका रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी स.1 का कब्जा जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार नही हैं अप्रार्थी स.1 को अनुचित लाभ पहुचाने मे उस समय के पटवारी अनील टेलर का भी आपराधिक कृत्य हैं। राजस्थान सरकार का स्पष्ट प्रावधान है कि 0.11 हैक्टर भूमि से कम कय की गई भूमि का नामान्तकरण दर्ज नही हो सकता है फिर भी सभी नियम व कानून को ताक पर रखकर अप्रार्थी स.1 से 25 को अनुचित लाभ पहॅुचाने के लिए उनके नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया हैं अप्रार्थी स.1 ने अप्रार्थी स.2 लगायत 25 का सन् 2007 से ही काबिज होना अंकित किया हैं जबकि अप्रार्थी स.1 ने अप्रार्थी स.2 लगायत 25 के हक मे विकय पत्र ही 2015 के बाद मे तस्दीक करवाये है जिससे स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी स.1 ने प्रार्थना पत्र के इस खण्ड मे झूठे तथ्य अंकित किये हैं।

2. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 2 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं प्रार्थीगण का कब्जा कास्त ख.न. 135 के दक्षिणी तरफ 1.12 हैकटर भूमि पर हैं उसी को कास्त करते आ रहे हैं तथा तारबाड़ कर रखी हैं अप्रार्थी स.1 अपने गलत रिकॉर्ड की आड मे प्रार्थीगण को उसकी कब्जे कास्त से हटाने के लिए जबरन तारबाड़ व पेड़ तोड़कर कब्जा करना चाहता हैं प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र पेश कियां तथा साथ मे प्रार्थना पत्र प्रस्तु कर अप्रार्थी स.1 से 25 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं तथा पटवारी हल्का रिर्पोट 03.06.2021 के अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी उतरी सीमा पर तारबाड़ होना दर्ज किया हैं अप्रार्थी स.1 स्वयं प्रार्थीगण की उतरी सीमा छिन भिन करके कब्जा करने की फिराक मे हैं तथा अप्रार्थी स.1 ने दिनांक 30.11.2011 में 9 लाख मे ख.न. 135 जो प्रार्थीगण की भूमि से सटती हुई हैं मे से 0.2450 वर्गमीटर भूमि का बेचान 9 लाख मे प्राप्त करके बेचान कर चुका हैं तथा प्रार्थीगण पूर्व से ही [illegible] के पश्चात अपने पुत्र पुत्रीया व साले व रिश्तेदारो के नाम [illegible] ईशी विकय पत्र तस्दीक करवा दिया हैं जिससे [illegible] अधिकार [illegible] नही होते हैं अप्रार्थी स.1 द्वारा प्रार्थीगण के साथ [illegible] 135 मे से 0.2450हैक्टर भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पिता [illegible] लाख रू. प्राप्त करके कर दिया हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उसके पश्चात नुमाईशी विकय पत्र अपने ही बच्चो व रिश्तेदारो के पक्ष मे करवा दिया हैं जिस बाबात प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स.1 के विरूद धोखाधड़ी व फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना सिघाना मे दर्ज करवाया हैं जिसकें एफ. आई.आर. न. 143/21 हैं जो विचाराधीन हैं तथा अप्रार्थी स.1 ने अपने बेचान प्रार्थीगण को करने के पश्चात उस पर पर्दा डालने के लिए फर्जी दस्तावेज का बहाना बनाकर झूठा प्रकरण दर्ज करवाया हैं जबकि उक्त बेचाननामा दिनांक 30.01.2011 का हैं इतने दिनो तक अप्रार्थी स.1 कैसे चुप रहा हैं इसके बारे मे कही कोई कथन नही किया हैं अप्रार्थी स.1 स्वयं प्रार्थीगण के कयशुद्धा व कब्जाशुद्धा भूखण्ड जिसके तारबाड़ कर रखी हैं तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 की भूमी की सतह भी अलग – अलग हैं प्रार्थीगण की भूमी 2– 3 फुट उंचाई पर हैं तथा अप्रार्थी स.1 की 0.63 हैक्टर भूमि निचाई पर हैं प्रार्थीगण की भूमी पर काफी वर्षो से तारबाड़ कर रखी है तथा सीमा पर पेड़ खड़े हैं उक्त सभी तथ्य झढू दर्ज किये हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 3 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं अप्रार्थी स.1 का ख.न. 135 मे से 0.63 हैक्टर भूमि ही हिस्से मे आती हैं जो उतरी तरफ की हैं दक्षिण तरफ की 0.24 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की कयशुद्धा व पूर्व से कब्जेशुद्धा हैं तथा अप्रार्थी स.1 द्वारा 9 लाख रू. मे प्रार्थीगण के पिता को बेचान की गई हैं उक्त लिखावट / बेचाननामा अप्रार्थी स.1 स्टोपड हैं तथा ख.न. 135 के दक्षिण तरफ की 0.24 हैक्टर भूमि तक अपने अधिकारो का हस्तानानतर अप्रार्थी स.1 दिनांक 30.01.2011 को ही कर चुका हैं इससे अप्रार्थी स1 प्रतिबंधित हैं अप्रार्थी स.1 प्रार्थीगण को बेचान करने के पश्चात अपने पुत्रो व रिश्तेदारो के नाम से नुमाईसी विकय पत्र बिना प्रतिफल के कर दिया हैं ताकी प्रार्थीगण को उसके अधिकारो से वंचित कर सके। तथा पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार भी मौके पर तारबाड़ सीमा पर की हुई हैं तथा कब्जा भी प्रार्थीगण का दर्शित हैं उक्त प्रतिदावाकर्ता उक्त अप्रार्थी स.1 के माध्यम से प्रार्थीगण की कयशुद्धा भूमि पर जबरन कब्जा करने की फिराक मे हैं जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही हैं यदि अप्रार्थी स.1 प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा कास्त मे दखलंदाजी करते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी । जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकता ।

4. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 4 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं अप्रार्थी स.1 का नाम ही प्रथम दृष्टया मामला हैं तथा ना ही सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी स.1 के पक्ष मे हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 5 बाबत क्षेत्राधिकार हैं जिसके उत्तर की आवश्यक्ता हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 6 बाबत कोर्ट फीस हैं जिसके जवाब की आवयक्ता नही हैं।

7. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड [illegible] जानकारी मे अभाव मे अस्वीकार हैं इत्यादि पेश किया [illegible]

उभय पक्षो को [illegible] वकील [illegible] प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली [illegible] अप्रार्थी ने मौखिक बहस की पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया आवेदकगण का यह तर्क रहा कि दिनांक 30.01.2011 को अप्रार्थी स.1 ने ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर मे से 0.24 हैक्टर भूमि आवेदकगण के हकपूर्वाधिकारी झाबर को 9 लाख रू. में बेचान कर दी तथा आवेदकगण इस भूमि पर बाहमी बंटवारा अनुसार सन् 1986 से काबिज हैं इसलिए 0.24हैक्टर रकबा उनका हैं इसलिए अनावेदकगण उक्त भूमि पर दौराने दावा कब्जा नही करे व अनावेदक स. 27 तहसीलदार बुहाना को इस भूमि की नपति नही करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया इसके विपरित अधिवक्ता अनावेदकगण / प्रतिआवेदनकर्ता का यह तर्क रहा कि इस भूमि का आवेदकगण ने सन् 1986 मे बाहमी बंटवारा होना बताया हैं जबकि दिनांक 31.01.2007 को दोनो पक्षो की सहमति से तहसीलदार बुहाना द्वारा खाता विभाजन किया गया है जिसके अनुसार अविभाजित ख.न. 135 का 0.87 हैक्टर रकबा प्रतिआवेदनकर्ताओ को विभाजन मे प्राप्त हुआ हैं एवं 0.88हैक्टर रकबा आवेदकगण को प्राप्त हुआ हैं यदि सन् 1986 में बाहमी बंटवारा होता एवं उस बंटवारे मे आवेदकगण को 0.24 हैक्टर रकबा अधिक मिला होता तो सन् 2007 मे हुए विभाजन में वे सहमति से 0.87 हैक्टर रकबा प्रतिआवेदनकर्ताओ को नही देते साथ ही जब सन् 2007 में पक्षकारान ने इस भूमि का विधिवत् खाता विभाजन हुआ हैं उस विभाजन के द्वारा प्रतिआवेदनकर्ताओ को 0.87 हैक्टर प्राप्त हुआ तो जो विधिवत् विभाजन हुआ हैं उसका मौखिक विभाजन पर अद्यारोही प्रभाव हैं हालांकि 1986 मे ऐसा कोई विभाजन पक्षकारो मे नही हुआ साथ ही अधिवक्ता प्रतिआवेदनकर्ता का यह भी तर्क रहा कि आवेदकगण ने जब सन् 1986 में बाहमी बंटवारा कर 0.24 हैक्टर रकबा ज्यादा प्राप्त करना बताया हैं तो उन्होने दिनांक 30.01.2011 को 9 लाख रू. में यह रकबा 0.2450 हैक्टर किस आधार पर खरीद किया अर्थात् दोनो तथ्य एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं साथ ही प्रतिआवेदनकर्ता की ओर से यह भी तर्क रहा कि आवेदकगण ने झूठे तथ्य दर्ज कर दिनांक 30.01.2011 की तिथि का कपटपूर्वक बेईमानीपूर्वक आश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रतिआवेदनकर्ता रामेश्वर के फर्जी हस्ताक्षर किये हैं इस बाबत उनके खिलाफ एफ.आई.आर. न. 164/2021 पुलिस थाना सिघाना मे दर्ज हुई जिसमें अनुषंधान के दौरान आवेदक संतोष , सुरेन्द्र , सतेन्द्र द्वारा तैयार किये गये उक्त कूटरचित दस्तावेज के लिए प्रथम दृष्टया दोषी माना जाकर उन्हे गिरफतार किया गया हैं। इस प्रकार आवेदकगण ने ना केवल झूठे तथ्य दर्ज किये हैं बल्कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रतिआवेदनकर्ताओ की भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया हैं इसलिए आवेदकगण को दौराने दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे दौराने दावा वाद वर्णित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर मे प्रवेश नही करे सीमा को नही तोड़े तारबाड़, खम्बा को नही तोड़े एवं प्रतिआवेदनकर्ता के कब्जे कास्त मे कोई दखल नही करे। मैने दोनो पक्षो के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक बिन्दुओ का चरणवार निर्णय इस प्रकार हैं —

(i). **प्रथम दृष्टया केश** — प्रार्थित राजस्व रिकार्ड भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर के प्रतिआवेदनकर्ता खातेदार — काश्तकार है तथा सन् 2007 मे दोनो पक्षो ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना के समक्ष उपस्थित होकर इस भूमि का खाता विभाजन करवाया हैं एवं विभाजन में यह भूमि प्रतिआवेदनकर्ता को प्राप्त हुई हैं इसलिए उक्त सहमति से आवेदकगण पाबन्द हैं तथा जिस 30.01.2011 की लिखावट का आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र मे उल्लेख किया हैं उसके सम्बध में प्रतिआवेदनकर्ता द्वारा एफ.आई.आर. न. 164 / 19 पुलिस थाना सिघाना प्रस्तुत की हैं एवं इस सम्बध मे दोनो पक्षो की ओर से यह स्वीकार किया गया हैं कि इस मुक्दमें अनुषंधान के दौरान आवेदक स.1 लगायत 3 को पुलिस ने प्रथम दृष्टया दोषी मानकर गिरफतार किया हैं तथा प्रतिआवेदनकर्ता ने दिनांक 05.07.2021 को तहसीलदार के आदेश से अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया हैं तथा आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी का आदेश प्राप्त करना भी बताया गया हैं। इस प्रकार प्रतिआवेदनकर्ताओ का खातेदार होने से एवं परस्पर सहमति से विभाजन होने से यह प्रथम दृष्टया केश हैं आवेदकगण ना तो इस भूमि के खातेदार हैं ना ही उन्होने तहसीलदार बुहाना द्वारा सहमति से किये गये विभाजन की ना तो अपील या निगरानी पेश की हैं। इस प्रकार इस बिन्दु का निस्तारण आवेदकगण के खिलाफ एवं प्रतिआवेदनकर्ताओ के पक्ष के किया जाता हैं।

(ii) **सुविधा का संतुलन** – आवेदकगण भूमि ख.न. 135 के खातेदार हैं तथा अपनी भूमी की आवेदकगण से सुरक्षा प्राप्त करने एवं अपनी खातेदारी भूमि के कब्जे कास्त के अधिकारी हैं इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रतिआवेदनकर्ताओ के पक्ष मे हैं।

(iii). **अपूर्तनीय क्षति** – आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर अनावेदकगण की खातेदारी की भूमी हैं जिस पर वे काबिज कास्त हैं यदि आवेदकगण ने किसी फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आवेदकगण के कब्जे कास्त एवं उपयोग – उपभोग मे बाधा डाली अथवा प्रतिआवेदनकर्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया तो अपूर्तनीय क्षति प्रतिआवेदनकर्ताओ को होगी। आवेदकगण इस भूमि के ना तो खातेदार है ना ही प्रथम दृष्टया उनका इस भूमि पर कब्जा प्रतीत होता हैं। इसलिए इस बिन्दु का निस्तारण प्रतिआवेदनकर्ताओ के पक्ष मे एवं आवेदकगण के खिलाफ किया जाता हैं।

प्रथम दृष्टया केश , सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति उक्त तीनो बिन्दुओ का निस्तारण आवेदकगण के खिलाफ एवं प्रतिआवेदनकर्ताओ के पक्ष मे किया गया हैं इसलिए आवेदकगण का यह आवेदन पत्र खारीज योग्य एवं प्रतिआवेदनकर्ताओ का प्रतिआवेदन पत्र स्वीकार योग्य हैं। –

:: आदेश ::

अतः आवेदकगण का आवेदनपत्र विरूद अनावेदकगण / प्रतिआवेदनकर्ता खारीज किया जाता हैं तथा प्रतिआवेदनकर्ताओ का प्रतिआवेदन पत्र विरूद आवेदकगण स्वीकार कर आवेदकगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे दौराने दावा ग्राम सिघाना स्थित भूमि ख.न. 135 रकबा 0.87 हैक्टर में प्रतिआवेदनकर्ता [illegible] लगायत 25 के कब्जा कास्त उपयोग–उपभोग में [illegible] भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही करे सीमा को नही [illegible] एवं अनावेदकगण की भूमि मे प्रवेश नही करे किसी प्रक[illegible] अनावेदकगण की भूमि मे नही करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे अनावेदकगण को उनकी भूमि के कब्जा कास्त मे दखल पहुँचे एवं अनावेदकगण की भूमि को क्षति कारित होती हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 3.1.1.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:30 IST
Reason: SelfAttested